अध्याय - IV

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

4.1 जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी।

जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.बी.) ने जीनोमिक अनुप्रयोग केन्द्र (टी.सी.जी.ए.) की स्थापना के लिए एक निजी साझीदार, आणविक चिकित्सा संस्थान (आई.एम.एम.) के साथ एक समझौता किया। आई.जी.आई.बी. ने निजी साझेदार का चयन करने से पूर्व यथोचित प्रयास नहीं किये। आई.एम.एम. के साथ समझौते में सरकार के हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। टी.सी.जी.ए. आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सका जैसाकि पूर्वकल्पित था। इसकी सेवाओं हेतु मूल्य निर्धारण नीति अलाभकर थी। टी.सी.जी.ए. की वित्तीय प्रथाओं में निजी साझेदार के पक्ष में झुकाव था, जैसा कि सेवाएं प्रदान करने हेतु कम व्यय प्रभारित करना, टी.सी.जी.ए. से असंबंद्ध व्यय इसके लेखाओं में दर्ज करना, आई.जी.आई.बी. के उपकरणों के उपयोग के लिए साझेदार को प्रभारित न करना, से स्पष्ट होता है। टी.सी.जी.ए. हेतु स्थापित निगरानी तंत्र ढ़ीला था। टी.सी.जी.ए. की सलाहकार परिषद से निजी भागीदार द्वारा टी.सी.जी.ए. के संचालन हेतु नीतिगत ढांचा एवं दिशा निर्देश जारी नहीं किये। विश्वविद्यालयों, उद्योगों एवं प्रयोगशाला समूहों के उपयोग हेतु एक साझा संसाधन के रूप में एक राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा बनने का टी.सी.जी.ए. का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त नहीं हो पाया। टी.सी.जी.ए. की गतिविधियाँ, अगस्त 2011 से निलंबित कर दी गयी।

4.1.1 प्रस्तावना

जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (आई.जी.आई.बी) औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के तहत कार्यशील, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक, विशेषतः जीनोमिक्स[52] एवं प्रोटियोमिक्स[53] जैसे क्षेत्रों में जैविक अनुसंधान एवं विकास कार्य पर ध्यान केन्द्रित करती है।

संस्थान ने 'जीनोमिक अनुप्रयोग केन्द्र' (टी.सी.जी.ए.) स्थापित करने हेतु एक निजी कम्पनी, चैटर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज (सी.एम.एस.) के साथ अप्रैल, 2003 में एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी) समझौता किया। बाद में (जुलाई, 2004), सी.एम.एस. के अनुरोध पर संस्थान ने समान नियम एवं शर्तो पर, सी.एम.एस. की एक सहयोगी कंपनी आण्विक

[52] जीनोमिक्स, आनुवंशिकी के तहत जीवों के जीनोम से संबंधित एक अनुशासन है
[53] प्रोटियोमिक्स प्रोटीन का बड़े पैमाने पर अध्ययन है खासकर उनकी बनावट और कार्य।

चिकित्सा संस्थान (आई.एम.एम.) के साथ एक और समझौता करके कथित समझौते को प्रतिस्थापित कर दिया।

इस सुविधा के कथित उद्देश्य निम्नलिखित को करना थे :

- अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) संस्थानों, विश्व विद्यालयों (छोटी प्रयोगशालायें) एवं उद्योगों को सहायता प्रदान करने हेतु सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधाओं के श्रेणी के **बुनियादी ढ़ाँचे का सृजन करना,** ताकि सरलतापूर्वक व्यय–वहनीय जीनोम एवं प्रोटियोम के अनुसंधान को देश में बढ़ावा दिया जा सके।
- **एक राष्ट्रीय सुविधा** और विश्वविद्यालयों, उद्योगों एवं प्रयोगशाला समूहों के द्वारा उपयोग हेतु एक साझा संसाधन के रूप में विकसित एवं संचालित करना।
- न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ जैविक विज्ञानों में उद्यमियों को शुरूआत करने हेतु **ऊष्मायन प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करना** और इस प्रकार उद्योग, विश्वविद्यालय तथा सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी के बीच के आर एण्ड डी साझेदारी के द्वारा विकास एवं प्रौद्योगिकी स्थानांतरण को संभव बनाना।
- जीनोम एवं प्रोटियोम अनुसंधान में **मानव संसाधन का विकास करना** और वैज्ञानिक तकनीकी कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सेवा–प्रभार के आधार पर **टी.सी.जी.ए. का संचालन करना।**

टी.सी.जी.ए. ने 11 मई 2004 से अपना संचालन आरम्भ किया और लगभग सात वर्ष के प्रचालन के पश्चात, प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुये इसकी गतिविधियां अस्थायी रूप से 31 अगस्त 2011 को निलंबित कर दी गयी। टी.सी.जी.ए. की पी.पी.पी. व्यवस्था नीचे प्रदर्शित है :

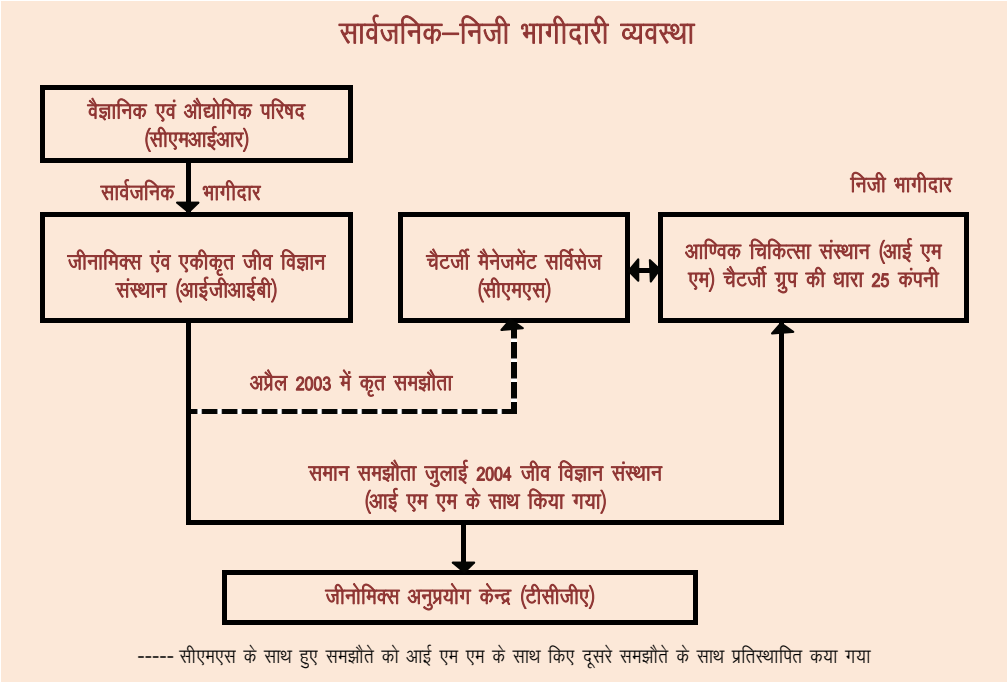

इस सुविधा की लेखापरीक्षा टी.सी.जी.ए. की पी.पी.पी. व्यवस्था का निष्पादन मूल्यांकित एवं निर्धारित करने हेतु की गई, जिसमें साझेदार के चयन की प्रकिया, वित्तीय व्यवस्थायें, गतिविधियाँ और सीमा, जिस तक इसके 2004–05 से 2011–12 के लिये पूर्व कल्पित उद्देश्य प्राप्त किये गये, शामिल थे। लेखापरीक्षा ने टी.सी.जी.ए. से संबंधित आई.जी.आई. बी. द्वारा रखे गये रिकार्डों के साथ ही साथ निजी साझीदार आई.एम.एम. के रिकार्डों की जाँच की।

टी.सी.जी.ए. के स्थापना का कालानुक्रम

दिनांक	घटना
दिसम्बर 2000	चटर्जी ग्रुप ने जैव प्रोद्योगिकी विभाग के साथ सहभागिता में ज्योनोमिक्स व प्राटियोमिक्स में एक विश्वस्तरीय शोध सुविधा स्थापित करने में रूचि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिर की।
मार्च 2001	चटर्जी ग्रुप ने फिर से जैव प्रोद्योगिकी विभाग के साथ सहभागिता में सुविधा स्थापित, करने में रूचि सचिव, जैव प्रौद्योगिक विभाग तथा आई.जी.आई.बी. से जाहिर की।
फरवरी 2003	आई.जी.आई.बी. ने एक सलाहकार (अरनेस्ट एण्ड यंग) के द्वारा ज्योनोमिक्स तथा प्रोटोमिक्स के क्षेत्र में कस्टम प्रयोगशाला उत्पादों और सेवाओं का एक उद्योग विश्लेषण कराया।
अप्रैल 2003	सी.एस.आई.आर. ने चटर्जी ग्रुप के साथ प्रस्तावित कोर अनुसंधान सुविधा को स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया।
अप्रैल 2003	आईजीआईबी ने जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र नामक कोर रोयई अनुसंधान सुविधा की स्थापना हेतु चैटर्जी ग्रुप के साथ समझौता किया।
जून 2003	अर्नेस्ट एण्ड यंग ने अपनी रिपोर्ट, प्रस्तुत की जिसमें बाजार के इस क्षेत्र में संचालन कर रही 12 भारतीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दर्शाया गया था, बाजार का आकार ₹ 80 से ₹ 100 करोड़ की अनुमानित लागत का था तथा सात वर्षों अर्थात् 2001 से 2007 में 400 प्रतिशत बढ़ने की आशा की गई थी।
जुलाई 2003	आई.जी.आई.बी. ने पी.पी.पी. में अपनी हिस्सेदारी के निधिकरण का प्रस्ताव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत किया।
जनवरी 2004	सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रदान की गई भूमि पर टी.सी.जी.ए. इमारत के लंबित निर्माण के कारण, निजी सहभागियों ने 6,600 वर्ग फीट की जगह ओखला में टी.सी.जी.ए. गतिविधियों के संचालन के लिए किराए पर ली।
फरवरी 2004	सरकार का ₹ 11.30 करोड़ रूपए का हिस्सा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया।
मई 2004	टी.सी.जी.ए. का संचालन शुरू हुआ।
जुलाई 2004	आई.जी.आई.बी. ने चटर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज के आग्रह पर चटर्जी ग्रुप की कंपनी की धारा 25 कंपनी आणविक चिकित्सा संस्थान के साथ करार हस्ताक्षरित किया तथा परियोजना को उसी शर्तो व नियमों पर चलाने के लिए चटर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ पहला करार प्रतिस्थापित किया।
मई 2006	विदेशी मुद्रा में अस्थिरता से विदेशी उपकरणों के लागत में वृद्धि के कारण सरकारी हिस्सा पुर्नरक्षित कर ₹ 13.55 करोड़ कर दिया गया।
अगस्त 2011	टी.सी.जी.ए. इमारत के पूरा होने में देरी की वजह से परिसर किराये की भारी लागत को बचाने के लिए टी.सी.जी.ए. की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया।

4.1.2 साझेदार का चयन

पूर्व कथनानुसार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के सहयोग से जीनोमिक्स एवं प्रोटियोमिक्स में एक विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा स्थापित करने के लिए चटर्जी समूह एक निजी समूह ने जिसका जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में निवेश है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा आई.जी.आई.बी. से संपर्क किया (मार्च, 2001)। सी.एस.आई.आर. ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया (अप्रैल, 2003) जिसके द्वारा कोर शेयर्ड अनुसंधान सुविधा जिसका नाम जीनोमिक अनुप्रयोग केन्द (टी.सी.जी.ए) होगा की स्थापना हेतु आई.जी.आई.बी. ने चैटर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज[54] (सी.एम.एस.) के साथ एक समझौता किया (अप्रैल, 2003)।

इससे पूर्व (फरवरी, 2003) में आई.जी.आई.बी. ने एक सलाहकार (अर्नेस्ट एण्ड यंग) को जीनोमिक्स एवं प्रोटियोमिक्स के क्षेत्र में कस्टम प्रयोगशाला उत्पादों एवं सेवाओं का एक उद्योग –विश्लेषण हेतु नियुक्त किया था। परामर्शदाता ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जून, 2003) एवं 12 कंपनियों[55] की पहचान थी, जो भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय दोनों थीं और जो बाजार में इसी क्षेत्र में प्रचालन कर रही थीं। बाजार का आकार लगभग ₹ 80 करोड़ से ₹ 100 करोड़ अनुमानित किया गया एवं सात वर्षों की अवधि के भीतर अर्थात 2001 से 2007 तक, 400 प्रतिशत तक वृद्धि अपेक्षित था। यह पाया गया कि आई.जी.आई.बी. ने परामर्शदाता के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही अप्रैल 2003 में साझेदार चुन लिया।

इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हेतु साझेदार का चुनाव करते समय, परियोजना की पहचान करने में, बाजार के आकार और वृद्धि को निश्चित करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन करने में, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, साझीदार के चयन हेतु पैमाने, चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने में यथोचित प्रयास नहीं किय गये।

सी.एस.आई.आर. ने कहा (अप्रैल, 2010), कि साझीदार का चयन, जीनोमिक्स के क्षेत्र में दुनियाभर में व्यापक उनकी साख के आधार पर किया गया था और कोई भी अन्य बोली–प्रणाली देश में वैज्ञानिक बुनियादी सुविधाओं में निवेश को इच्छुक ऐसा साझीदार नहीं ला सकती थी।

सी. एस. आई. आर. का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परामर्शदाता के प्रतिवेदन से यह देखा गया (जून, 2003) कि इस क्षेत्र में समान ख्याति प्राप्त कम से कम एक दर्जन कंपनियां थीं। आई.जी.आई.बी. ने सी.एम.एस. के साथ समझौता करने से पहले इन संस्थाओं का प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया था और एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का पालन किये बिना परियोजना के लिये निजी साझीदार का चयन किया।

[54] चैटर्जी ग्रुप की एक कंपनी

[55] मै० हाईसेल इण्डिया लि०, लैबमेट (एशिया) लि०, सिगमा आलिड्रड्ज, क्वीयाजेन, जेनेटिक्स, माईक्रोसिंग, स्ट्रैटाजीन, इनविट्रोजेन, प्रोमेगा, ऐमरशैम पीएलसी,बंगलौर जीनेई प्राईवेट लि० तथा बाथोसर्व बायोटेक्नालोजीस लि०

4.1.3 निजी साझीदार के साथ समझौता

यद्यपि आई.जी.आई.बी. चटर्जी मैनेजमेंट सर्विसेज (सी.एम.एस.) के साथ टी.सी.जी.ए. की स्थापना के लिए अप्रैल 2003 में एक समझौते में शामिल हुई, लेकिन सी.एम.एस. के निवेदन पर चटर्जी समूह कि धारा 25 कंपनी[56] आण्विक चिकित्सा संस्थान के साथ एक अन्य अनुबंध (जुलाई 2004) द्वारा पूर्व समझौता को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

निजी साझेदार के साथ समझौते की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है :

- आई.जी.आई.बी. टी.सी.जी.ए. के भवन निर्माण हेतु भूमि प्रदान करेगी और 10 प्रमुख उपकरण सुविधायें स्थापित करेगी।
- आई एम एम ₹ 10 करोड़ की पूंजी (भवन हेतु ₹ नौ करोड़ व उपकरण हेतु ₹ एक करोड़) व ₹ 2.50 करोड़ की आवर्ती लागत सहित ₹ 12.5 करोड़ मुहैया करायेगी।
- टी सी जी ए शुल्क आधारित सेवायें प्रदान करेगा तथा द्वितीय वर्ष से स्व–पोषणीय बनने के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करेगा।
- सुविधा प्रबन्धन के सम्बन्ध में, आई एम एम के पास वित्त, कानूनी व श्रमशक्ति से जुड़े, सभी मामलों पर पूर्णाधिकार होगा।
- टी.सी.जी.ए. के कार्यकलापों को देखने हेतु सी.एस.आई.आर., आई.जी.आई.बी. एवं आई.आई.एम के सदस्यों वाली दो निकायों यथा सलाहकार समिति व निगरानी समूह बनाया जायेगा।
- अनुबंध के समयपूर्व रद्द करने के मामलें में, सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी. की निधि से खरीदे गये उपकरण का मालिकाना हक सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी. का होगा, और टी.सी.जी.ए. के आय से खरीदे गये उपकरण पर आई.एम.एम. तथा सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी. का साझा हक होगा। टी.सी.जी.ए. की इमारत को इसका (बुक वैल्यु) अदा करने पर सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी. को हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने अनुबंध में निम्नलिखित कमियाँ पायी :

- एक अलग कानूनी इकाई जैसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी फर्म/कंपनी या सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत एक सोसायटी या किसी और प्रकार का विशेष प्रयोजन साधन के रूप में टी.सी.जी.ए. का उचित संरचना न परिभाषित किया गया न बनाया गया।

[56] धारा 25 की कंपनियां गैर लाभ उन्मुख कंपनियां है जो वाणिज्य, कला, विज्ञान धर्म, दान या किसी भी उपयोगी उद्देश्य की बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। एसी कंपनियां अपने लाभ, यदि कोई हो, को केवल उनके उद्देश्यों को बढावा देने के लिए लागू कर सकती है तथा इनको अपने सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने पर भी प्रतिबंध है।

- समझौते की धाराओं को इस तरह से नहीं बनाया गया कि दोनों पार्टियों को पी.पी.पी. में शामिल जोखिम स्पष्ट हो या संतुलित रूप में बंटा हो। समझौते के अनुसार आई.एम.एम. का जोखिम, अगर कुछ हो, कुल परियोजना की अवधि के ऊपर ₹ 3.50 करोड़ तक ही सीमित था। तथापि आई.जी.आई.बी. लिए ऐसी कोई सीमा नही रखी गयी। इसके अलावा यद्यपि सुविधा की नयी दिल्ली में स्थापित करने की येाजना बनाई गयी थी, पर आई.जी.आई.बी. द्वारा प्रदान की गयी भूमि की लागत को परियोजना परिव्यय में शामिल नहीं किया गयज्ञं

- समझौते में ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं था जो आई.एम.एम को टी सी जी ए के संचालन से उत्पन्न आय को इसके वित्तीय विकास के लिए पुनर्निवेश हेतु मजबूर करे, इस प्रकार टीसीजीए से अर्जित आय का आई.एम.एम द्वारा अपने अन्य परियोजनाओं में विपथन हेतु गुंजाइश रह जाती है।

- समझौते में निजी साझेदार द्वारा पी.पी.पी. द्वारा समझौते में सहमत दशाओं को न पूरा करने की दशा में कोई दन्ड 'जुर्माना' धारा नहीं था।

- समझौता टी सी जी ए के स्व–पर्याप्त न होने की स्थिति में संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक योजना नही प्रदान करता ।

- संचालन परिणाम तथा वित्तीय हालत दर्शाने के लिए टी.सी.जी.ए. का अलग लेखा तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। पर्याप्त निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के लिए भी प्रावधान समझौते में शामिल नहीं किया गया था।

समझौते में कमी को स्वीकारते हुए आई.जी.आई.बी. ने कहा (नवंबर 2009) की दोनों पार्टियों के जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए, खासकर वित्तीय देयता/दायित्व/जिम्मेदारियों के संदर्भ में, समझौते को संशोधित कर दिया जायेगा। तथापि, बताये गये संशोधन नहीं किये गये (मार्च 2012)। टी.सी.जी.ए. की गतिविधियाँ 31 अगस्त 2011 से निलंबित कर दी गई।

टी.सी.जी.ए. के आय के पुनर्निवेश के संबंध में कहा गया कि आई.एम.एम. एक धारा 25 कंपनी होने के कारण राजस्व को व्यवस्था से बाहर नहीं ले जा सकता था। संचालन के खर्च को पूरा करने के उपरांत गतिविधियों से उत्पन्न सारा राजस्व पुनर्निवेश किये जाने की आशा थी।

सी.एस.आई.आर. का उत्तर स्वीकार्य नहीं थी चूँकि टी.सी.जी.ए. एक धारा 25 कंपनी नहीं थी, यह आई.एम.एम. की केवल एक परियोजना थी। अतः टी.सी.जी.ए. के आय का आई. एम.एम. ने अन्य परियोजनाओं हेतु विपथीकरण को नकारा नहीं जा सकता। इस बात को पूरी तरह जाँचा नहीं जा सका क्योंकि टी.सी.जी.ए. का लेखा आई.एम.एम. के लेखों के साथ संविलीन था।

4.1.4 अनुदान की व्यवस्था

समझौते के अनुसार, आई.एम.एम. ₹ 12.50 करोड़ (भवन निर्माण पर ₹ नौ करोड़, उपकरणों पर ₹ एक करोड़ और आवर्ती व्यय पर ₹ 2.50 करोड़) के लिए प्रतिबद्ध हुआ और सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी को सुविधा के लिए सभी प्रमुख उपकरण लाने थे। आई.जी.आई.बी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी उपकरणों का अनुमानित मूल्य समझौते में निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

आई.जी.आई.बी ने पीपीपी में सरकारी हिस्सेदारी के वित्तपोषण के लिए जुलाई 2003 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को प्रस्ताव भेजा। हालांकि आई.जी.आई.बी ने इस परियोजना में निजी भागीदारी की सहमति के बारे में डी एस टी को सूचित नहीं किया। फरवरी 2004 में सरकारी हिस्सा ₹ 11.30[57] करोड़ डी एस टी के द्वारा अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार पूरा होने की तिथि फरवरी 2005 थी जिसे पुनः तय पूरा होने की तिथि मार्च 2007 के साथ डी.एस.टी. का हिस्सा ₹ 2.25[58] करोड़ बढ़ाकर ₹ 13.55 करोड़ कर दिया गया (मई 2006)। इस प्रकार, कुल ₹ 26.05 करोड़ का व्यय नीचे दिये गये अनुसार था :

(₹ करोड़ में)

तालिका 8 : टी सी जी ए की स्थापना में सरकार और निजी हिस्सेदारी का विवरण

		सरकारी हिस्सा	निजि हिस्सा	कुल
पूँजी	भवन	0.00*	9.00	9.00
	उपकरण	13.00**	1.00	14.00
आवर्ती		0.55	2.50	3.05
कुल		13.55	**12.50**	**26.05**

* प्रस्तावित भवन हेतु भूमि आई.जी.आई.बी, द्वारा उपलब्ध कराना था, जिसका मूल्य लागत में शामिल नहीं किया जाये।
** उपकरणों की वित्तीय मूल्य के समझौते में परिभाषित नहीं किया गया था।

4.1.5 वित्तीय प्रदर्शन और कार्य–परिणाम

आई.एम.एम., टी.सी.जी.ए. के संचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था, तब भी उसने टी. सी.जी.ए. के लिए अलग खातों को बनाने के बजाय, टी.सी.जी.ए. से सम्बन्धित लेन–देन अपने खाते में मिला लिया। लेखापरीक्षा को टी.सी.जी.ए. से सम्बन्धित 2004–05 से 2010–11 के खातों का उद्धरण उपलब्ध कराया गया।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा टी.सी.जी.ए. की पी पी पी परियोजना के लेखापरीक्षा के प्रारम्भ होने के बाद आई.जी.आई.बी. ने टी.सी.जी.ए. के 2009–10 से 2010–11 के लेखों का अंकेक्षण कराया। लेखापरीक्षकों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर

[57] डीएसीटी, सीएसआईआर तथा आईजीआईबी का हिस्सा क्रमशः ₹ छः करोड़ ₹ 2.72 करोड़ एवं ₹ 2.58 करोड़ (₹ 0.55 करोड़ का आवर्ती खर्च)
[58] विदेशी मुद्रा में अस्थिरता के कारण उपकरणों की लागत में वृद्धि के कारण

दिया था जिसे आई.एम.एम. ने मार्च 2012 तक स्वीकार नहीं किया था। ऑडिट रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किया कराया गया था। वर्ष 2004–05 से 2010–11 के दौरान, टी.सी.जी.ए. का कार्य–परिणाम, जो टी.सी.जी.ए. के खातों के उद्वरण से प्राप्त हुए है, इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

तालिका – 9 : 2004–11 के दौरान टी.सी.जी.ए. का वित्तीय निष्पादन

वर्ष	कुल बिक्री	व्यय	लाभ/(हानि)	प्रतिशत लाभ/ (हानि)
2004-05	1.12	2.25	(1.13)	(100.89)
2005-06	3.65	3.91	(0.26)	(7.12)
2006-07	6.62	6.23	0.39	5.89
2007-08	8.35	8.45	(0.10)	(1.20)
2008-09	8.93	8.50	0.43	4.82
2009-10	6.97	9.96	(2.98)	(42.75)
2010-11	4.80	7.71	(2.91)	(60.63)
	40.43	**47.00**	**(6.57)**	

जैसा कि ऊपर की तालिका से पता चलता है–

- सात में से पाँच वर्षो में, टी.सी.जी.ए. को कुल बिक्री एक से 101 प्रतिशत तक का नुकसान उठाना पड़ा।
- टी.सी.जी.ए. का प्रदर्शन वर्ष 2006–07 और 2008–09 के दौरान अधिकतम था लेकिन 2009–10 और 2010–11 के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आई थी।

इस प्रकार, करार के अनुसार, टी.सी.जी.ए. की दूसरे वर्ष बाद आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद थी, पर सात साल बाद भी आत्मनिर्भर नहीं बन सका।

4.1.6 परियोजना का कार्यान्वयन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ एवं अनियमितताएँ पाई गई है।

4.1.6.1 निर्माण पर व्यय की अनियमित बुकिंग

समझौते के शर्तों के अनुसार आई.एम.एम. को अपने संसाधनों से ₹ 9.00 करोड़ की लागत से टी.सी.जी.ए. इमारत के निर्माण करना था। आई.एम.एम. ने इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लिया और ₹ 4.98 करोड़ का ब्याज और ऋण – कार्यवाही फीस अपने योगदान के तौर पर बुक कर लिया जो गलत था। यह 31 मार्च, 2011 तक टी.सी. जी.ए. द्वारा खर्च किये गये में शामिल कर लिया गया।

टी.सी.जी.ए. ने जवाब में कहा (दिसम्बर, 2009) कि निर्माण खर्च में जोड़े गये लाभित सभी ब्याज एवं कार्यवाही फीस समायोजित की जायेगी। हालांकि, इस तरह के बुकिंग का उत्क्रमण नहीं किया गया था (मार्च 2012)।

4.1.6.2 परियोजना प्रबंधन शुल्क का अतिरिक्त भुगतान

डिजाइन और टी.सी.जी.ए. इमारत के अवधारण, डिजाइन और निर्माण प्रबंधन को विकसित करने के लिए, आई.एम.एम. ने अपनी सहभागी टी.सी.जी. विकास इंडिया प्रा.लि. (टी.सी.जी.डी) को सेवाओं में लगाया। फरवरी 2004 में (टी.सी.जी.ए. स्थापित करने के लिए आई.जी.आई.बी. से किये गये समझौते से भी पहले) आई.एम.एम. एवं टी.सी.जी.डी. के बीच विकास प्रबंधन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसने तय किया कि टी.सी.जी.ए. की इमारत 18 महीनों[59] के दौरान पूरी होगी जिसके लिए कुल ₹ 83 लाख[60] का शुल्क टी.सी.जी.डी को देय होगा। समझौता में आगे कहा गया है कि अगर आई.एम.एम. की विफलता के कारण यदि परियोजना अनुबंधित समय 18 महीने से ज्यादा विलम्ब हो तो विलम्ब के उस अवधि के लिए टी.सी.जी.डी को सामान्य मासिक शुल्क (अर्थात् ₹ 1.50 लाख प्रतिमाह) के 75 प्रतिशत की दर से मासिक शुल्क का भुगतान किया जाए।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया किया गया कि वैधानिक अनुमोदन स्वीकार करने में देरी के कारण टी.सी.जी.ए. इमारत के निर्माण कार्य में रूकावट पैदा हुई। परियोजना प्रबंधन शुल्क, जुलाई 2005 के बाद जो घटे हुए शुल्क ₹ 1.50 लाख प्रतिमाह की दर से टी.सी.जी.डी को भुगतान करने की आवश्यकता थी, को बिना किसी औचित्य के तथा कार्य के आकलन किए बिना आई.एम.एम. द्वारा दिसम्बर 2005 तथा फरवरी 2007 में बढ़ाकर क्रमशः ₹ 3 लाख प्रति माह तथा ₹ 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया।

टी.सी.जी.डी को अगस्त 2005 और सितम्बर 2010 के बीच कुल भुगतान ₹ 1.77[61] करोड़ परियोजना प्रबंधन शुल्क के रूप में बढ़े हुए दर से किया गया, जो स्वीकृत योग्य राशि ₹ 85.50 लाख के अतिरिक्त था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आई.जी.आई.बी. ने आई.एम.एम. के द्वारा उनके सहयोगियों को टी.सी.जी.ए. इमारत के संरचना एवं निर्माण प्रबंधन के कार्य के आवंटन में किसी भी प्रकार के हितों का संघर्ष नहीं पाया। शर्तें तथा दर बहुत ज्यादा टी.सी.जी.डी. के पक्ष में थी क्योंकि आई.जी.आई.बी. तथा आई.एम.एम. के बीच हस्ताक्षरित समझौते का निकास शर्त ऊपर चर्चा की गई सभी खर्च परियोजना के बंद होने पर आई.जी.आई.बी. द्वारा इमारत लेने के समय इमारत के लेखा मूल्य में शामिल होकर वापस करने की अनुमति देता था।

टी.सी.जी.ए. इमारत निर्माण के रचना एवं निर्माण प्रबंधन इत्यदि के लिए 31 मार्च 2011 तक कुल ₹ 3.25 करोड़ का भुगतान किया गया जो इमारत के वास्तविक अनुमानित राशि के 36 प्रतिशत से अधिक है। इमारत मार्च 2012 तक निर्माणाधीन था।

---

[59] 1 फरवरी 2004 से 31 जुलाई 2005 तक

[60] डिज़ाइन के लिए ₹ 47 लाख तथा ₹ दो लाख प्रति माह के दर पर ₹ 36 लाख का 18 महीने तक का मासिक शुल्क

[61] ₹ 20.01 लाख के सेवा कर को छोड़कर

टी.सी.जी.ए. ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार किया (मार्च 2012) तथा यह विश्वास दिलाया कि यथोचित समय पर आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

4.1.6.3 किराए में अतिव्यय की वजह से परिहार्य व्यय

टी.सी.जी.ए. की इमारत के लंबित निर्माण कार्य के कारण आई.एम.एम. ने ओखला में जनवरी 2004 में 6,600 वर्ग फीट जगह किराए पर ली। इस संबंध में, आई.एम.एम. ने तीन अलग–अलग करार[62] मालिक के साथ कुल मासिक ₹ 3.17 लाख किराए पर तीन साल के लिए हस्ताक्षरित किया, इस शर्त के साथ भी की कि प्रत्येक करार अगले तीन वर्षों में दो टर्म के लिए समान शर्तों तथा नियमो पर पिछले भुगतान किए मासिक किराए पर 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि पर नवीकृत होगा।

लेखापरीक्षा ने यह अवलोकन किया कि समझौते के पहले कार्यकाल की समाप्ति के बाद, आई.आई.एम. ने पिछले तीन समझौतों का विलय कर मालिक के साथ एक समझौते (मार्च 2007) का नवीकरण किया। नए समझौते के अनुसार, ₹ 5.61 लाख का मासिक किराया परिसर को किराया पर लेने, सुविधाएँ तथा किराये पर ली गई सुविधाओं के रखरखाव के लिए निश्चित किया गया, जो टी.सी.जी.ए. द्वारा प्रदत्त पिछले मासिक किराये की तुलना में 77.53 प्रतिशत अधिक था। परिणामस्वरूप, टी.सी.जी.ए. ने मार्च 2007 से अगस्त 2011 के दौरान किराया के रूप में ₹ 3.18 करोड़ का व्यय किया, जिसमें से ₹ 1.15 करोड़ अधिक भुगतान था जिसका कारण नए समझौते की बजाय पहले समझौते के नवीकरण के शर्त का खंड आह्वान करने में असफलता था।

सी.एस.आई.आर. ने कहा कि भू–स्वामी ने समझौते के नवीकरण से इन्कार कर दिया जब तक कि बढ़े हुए दर का भुगतान न किया जाये तथा आई.एम.एम. के पास नवीकरण के दबाव के लिए एकतरफा अधिकार नही था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नही है, क्योंकि आई.एम.एम. ने संबंधित खंड का आह्वाहन नहीं किया जो प्रदान करता है कि पिछला भुगतान किया मासिक किराए से केवल 15 प्रतिशत किराया ही परिवर्धित किया जा सकता है।

इस प्रकार टी.सी.जी.ए. ने ₹ 1.15 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसका वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ।

[62] **(i)** परिसर को किराया पर **(ii)** सुविधाँए अर्थात पट्टे पर लिए गए स्थान के लिए एयर कंडीशनिंग लेखा, डीजल जेनरेटर सेट, अग्नि शमन उपकरण इत्यादि को किराये पर लेना तथा **(iii)** किराये पर ली गई सुविधाओं का रखरखाव प्रतिमाह क्रमशः ₹ 1.80 लाख, ₹ 0.83 लाख, ₹ 0.54 लाख के किराये पर।

4.1.6.4 निजि सहभागी को सरकारी जगह का अनियंत्रित आवंटन

जैसा कि पैरा 4.1.6.3 में कथित है, आई.एम.एम. ने (जनवरी 2004) में टी.सी.जी.ए. गतिविधियाँ चलाने के लिए ओखला में एक इमारत की भूमितल तथा प्रथम तल किराए पर (6600 वर्ग फुट) लिया। बाद में (मार्च 2005), आई.एम.एम. को टी.सी.जी.ए. के लिए 1000 वर्ग फीट की अतिरिक्त जरूरत का आकलन किया तथा उसी इमारत की तीसरी तल पर 4,300 वर्ग फीट जगह किराए पर ली। क्योंकि यह जगह टी.सी.जी.ए. की जरूरत से अधिक थी, आई.एम.एम. ने आई.जी.आई.बी. के अनुरोध पर, (मई 2005) में सुपर कम्प्यूटर की स्थापना के लिए 3,800 वर्ग फीट की अतिरिक्त जगह किराए पर ली।

य़द्यपि सी.एस.आई.आर. ने आई.जी.आई.बी. को (मार्च/मई 2005) सी.एस.आई.आर. की अधिशासी निकाय से जगह को किराए पर लेने के लिए अनुमोदन लेने के निर्देश दिए, परन्तु आई.जी.आई.बी. ने कोई भी अपेक्षित अनुमोदन नही लिया। अतः जुलाई 2007 तक ₹ 46.21 लाख का भुगतान किया किराया अनियमित था।

इसी बीच सी.एस.आई.आर. ने (मई 2006) आई.जी.आई.बी. को नारायणा कैम्पस पर 14,000 वर्ग फीट की जगह का आवंटन किया। तथापि आई.जी.आई.बी. ने किराए का स्थान खाली नहीं किया तथा अपने नारायणा में आवंटित स्थान के 3500 वर्ग फीट स्थान की आई.एम.एम. को सी.एस.आई.आर. के किसी अनुमोदन के बिना आवंटित किया (जुलाई 2007) ।

सी.एस.आई.आर. ने कहा (अप्रैल 2010) कि सुपर कम्प्यूटर के लिए यदि स्थान किराए पर नही लिया गया होता, तो सरकार को इन उपकरणों के उपयोग के बिना इनकी कीमत का अवमूल्यन को सहन करना होगा। आगे और गया कि नारायणा मे जगह के आवंटन के बाद, आई.जी.आई.बी. ने आई.एम.एम. को किराए का भुगतान करना बंद कर दिया।

यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नही है, क्योंकि आई.जी.आई.बी. के पास सी.एस.आई.आर. के अनुमोदन के बिना निजी पार्टी को सरकारी जगह आवंटित करने का अधिकार नहीं है।

4.1.6.5 उपकरणों की स्थापना में स्वीकृति में अति

डी.एस.टी. (मई 2006) की स्वीकृति के अनुसार, टी.सी.जी.ए. परियोजना में उपकरणों के लिए सरकार का हिस्सा ₹ 13 करोड़ था। इस राशि में से डी.एस.टी., सी.एस.आई.आर तथा आई.जी.आई.बी. को क्रमशः ₹ 8.25 करोड़, ₹ 2.72 करोड़ तथा ₹ 2.03 करोड़ कि क्रमशः हिस्सेदारी करनी थी। डी.एस.टी. ने अपने ₹ 8.25 करोड़ की अपनी भागीदारी का ₹ 8.10 करोड़ जारी किया जबकि सी.एस.आई.आर तथा आई.जी.आई.बी. ने उनकी पूरी हिस्सेदारी क्रमशः ₹ 2.72 करोड़ तथा ₹ 2.03 करोड़ जारी कर दिया। उपलब्ध ₹ 12.85 करोड़ की निधि के विरूद्ध, आई.जी.आई.बी. ने टी.सी.जी.ए. पर ₹ 12.44 लाख के उपकरणों की स्थापना की।

उपरोक्त के अलावा, आई.जी.आई.बी. ने टी.सी.जी.ए. के व्यावसायिक उपयोग के लिए अपने दूसरे परियोजनाओं के लिए खरीदे गये कुल ₹ 2.68 करोड़ मूल्य के उपकरण स्थापित किये। ₹ 1.16 करोड़ मूल्य के दूसरे उपकरण भी प्रशिक्षण हेतु टी.सी.जी.ए. के आदेश पर रखें। अतः उपकरण खरीद के स्वीकृत मूल्य ₹ 13 करोड़ के स्थान पर आई. जी.आई.बी. ने टी.सी.जी.ए. में ₹ 16.28 करोड़ मूल्य के उपकरण रखें।

सी.एस.आई.आर. ने अप्रैल 2010 में कहा कि टी.सी.जी.ए. में लगाये गये अतिरिक्त उपकरण समझौता शर्तों के अनुसार था। सी.एस.आई.आर का जवाब उपकरण पर ₹ 3.28 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के मामलें को नहीं दर्शाता।

4.1.6.6 व्यय जो टी.सी.जी.ए. गतिविधियों से संबंधित नहीं है को अनियमित रूप से खातों में लिखना

(क) अपने व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आई.एम.एम. ने जीनोमिक खोज परियोजना समूह के लिये ओखला परिसर (जैसा परिसर पारा 4.16.3 में चर्चित है) के तीसरे मंजिल जिस पर निर्मित 500 वर्ग फीट को आवंटित (अक्टूबर 2008) किया तथा टी.सी.जी.ए. पर अक्टूबर 2008 से अगस्त 2011 के अवधि के ₹ 15.76 लाख[63] की व्यय राशि खाते में लिया जो भाड़े तथा बिजली से संबंधित था।

(ख) 2006–07 के दौरान, आई.एम.एम. के द्वारा अपनी परियोजना के लिए टी.सी.जी.ए. ₹ 41.52 लाख मूल्य के जनशक्ति तथा रसायन का उपयोग किया। लेकिन टी.सी. जी.ए. के द्वारा आई.एम.एम. से इसकी वसूली नहीं की गई।

टी.सी.जी.ए. ने उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2011) को स्वीकारते हुए, आश्वासन दिया कि टी.सी.जी.ए. गतिविधियों से असंबंधित व्यय वापस किया जायेगा, लेकिन मार्च 2012 तक कोई भी कार्रवाई नही की गई।

अतः आई.एम.एम. के द्वारा टी.सी.जी.ए. निधियों से ₹ 57.28 लाख का व्यय अनियिमित था।

4.1.6.7 सेवा प्रभार से कम प्रभार लेना।

आई.एम.एम. ने अनुसंधान त्रिकोण संस्था (आरटीआई), यू एस ए के सहयोग, से 2005–06 में हैजा टायफाइड टीका अनुसंधान (सी टी वी आर) शीर्षक परियोजना से शुरूआत की और टी.सी.जी.ए. के माध्यम से परियोजना के जीनोटाइपिंग, अनुक्रमण और ओलिंगो न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण सेवाओं को अंजाम दिया।

जीनोटाइपिंग सेवाओं के लिये 2004–05 से 2008–09 के लिये टी.सी.जी.ए. निरीक्षण समिति (एम सी) द्वारा निर्धारत शुल्क ₹ 35.00 से ₹ 50.00 प्रति नमूना था। तथापि आई.

[63] ₹ 14.16 लाख किराया तथा ₹ 1.60 लाख बिजली शुल्क

एम.एम. ने वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान ₹ 21.97 लाख नमूनों के लिये ₹ 23.00 प्रति नमूना के दर पर भुगतान किया जिसका परिणाम टी.सी.जी.ए. को आय में क्रमशः ₹ 88.36 लाख एवं ₹₹ 1.75 करोड़ का नुकसान था।

सी.एस.आई.आर. ने (अप्रैल 2010) में कहा सी.एस.आई.आर. परियोजना के द्वारा जो मूल्य की उगाही कि गई वो अन्य ग्राहकों की तुलना में औसत मूल्य से ज्यादा था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योकि टी.सी.जी.ए. ने अपने एम.सी. के अनुसार निर्धारित दर पर आई. एम.एम. का शुल्क प्रभार प्रभारित चार्ज नहीं किया। इसके अलावा, अन्य ग्राहकों के औसत मूल्य के गणना में आई.जी.आई.बी. एवं सी.एस.आई.आर की संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं जिनसे क्रमशः लागत दर तथा घटा मूल्य पर वसूली किया गया।

4.1.6.8 सेवाएं की अनार्थिक मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप राजस्व हानि

2006–12 के अवधि के दौरान, टी.सी.जी.ए. ने छः प्रधान सूचियों[64] के अन्तर्गत 58 सेवाएं प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सेवाओं के छः सूचियों में से दो में, लागत निर्धारण आर्थिक रूप से नहीं किया गया। सेवाओं में उपयोग की गयी रसायन और उपभोग्य का वास्तविक दर दी गई सेवाओं के निर्धारित दरो से ज्यादा थी। सेवाओं की अनार्थिक मूल्य निर्धारण के कारण परिणामस्वरूप राजस्व की हानि में हुई जैसा कि, नीचे चर्चित है :–

(क) एफीमेट्रीक्स जीनोटाइप सेवायें – बिक्री रजिस्टर के अनुसार, टी.सी.जी.ए. ने 2006–09 के दौरान 130 नमूनों के जाँच के लिये एफीमैट्रीक्स जीनोटाइप सेवायें प्रस्तुत किया और ₹ 34.01 लाख की राजस्व अर्जित की (ऐसी कोई भी सेवा 2004 के दौरान प्रदान नहीं की गई)। तथापि, खपत वाउचर में यह देखा गया कि इन सेवाओं में उपयोग होने वाले रसायन एवं उपभोग्य पर व्यय दो वर्ष (2007–08 और 2008–09) की अवधि में ₹ 34.34 लाख था।

इसके अलावा, 2009–11 वर्ष के लिये विक्रय रजिस्टर के संविक्षा में यह प्रकट हुआ कि कोई एफीमेट्रीक्स सेवायें टी.सी.जी.ए. के द्वारा इन वर्षों में प्रदान नही की गई, तथापि रासायन एवं उपभोग्य के खपत रजिस्टरों ₹ 3.71 लाख एफमेट्रीक्स सेवायें पर व्यय दिखाई गई।

(ख) माइक्रोऐरे सेवाये :– टी.सी.जी.ए. ने 17 प्रकार की माइक्रोऐरे सेवाये ₹ 280 से ₹ 29,400 से व्यापक कीमत पर प्रदान की। कुल प्रत्यक्ष लागत[65] को कुल बिक्री का 50 प्रतिशत मानते हुए 2006–07 में कथित सेवाओं के लिए लागत निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने तथापि 2006–09 के लिये टी.सी.जी.ए. के बिक्री रजिस्टर से अवलोकित किया कि माइक्रोऐरे सेवायें 484 नमूनों के जाँच के लिये प्रदान की गई, जिससे जो

[64] ओलिगों सिंथेसिस, प्रोटीयोमिक्स, जीनोटाइपिंग, माईक्रो ऐरे, अनुक्रमण तथा कस्टम सेवाएँ
[65] रसायन व उपभोज्य, जनशक्ति तथा उपकरणों की लागत सहित

₹ 40.90 लाख का राजस्व अर्जित हुआ जबकि रसायन एवं उपभोग्य पर प्रत्यक्ष व्यय ₹ 34.24 लाख था।

अतः प्रत्यक्ष व्यय वास्तव में अनुमानित प्रत्यक्षमूल्य के 50 प्रतिशत के बजाय 84 प्रतिशत था, जो सेवाओं को अलाभकारी बना रहा था।

सी.एस.आई.आर. ने एफीमेट्रीक्स जीनोटाइपिंग सेवाओं के मूल्यन पर लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई टिप्पणी प्रस्तावित नही की। माइक्रोऐरे सेवाओं के संबंध में यह कहा गया कि सेवाओं का मूल्य प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देने के लिए तथा इसे दूसरे प्रभावी लागत प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये कम कीमत पर निश्चित था। जवाब विश्वासप्रद नहीं था क्योकि यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि सेवाओं कों, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धात्मकण कीमत पर भी सतत् मूल्य पर होने की जरूरत है।

4.1.6.9 आई.जी.आई.बी. उपकरण के उपयोग से प्राप्त लाभ

सी.एस.आई.आर के दिशा–निर्देशों[66] के अनुसार किसी भी सी.एस.आई.आर. उपकरण सुविधा का किसी निजी पक्ष द्वारा उपयोग की अनुमति के लिए प्रत्येक संस्थान को सी. एस.आई.आर. के महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निजी पार्टी के साथ एक समझौते में शामिल होना चाहिए। उपयोगकर्ता शुल्क सही–सही आकलन करना चाहिए और उसका अधिकतम प्रतिशत अग्रिम के रूप में या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

क) आई.जी.आई.बी. ने ₹ 2.48 करोड़ की लागत से सितम्बर 2006 में आनुवांशिक विश्लेषण अनुप्रयोगों (इल्युमीना) के लिए बेंच टॉप प्रणाली की खरीद की। ऑडिट ने अवलोकित किया कि टी.सी.जी.ए. ने उपयोग शुल्क भुगतान किए बिना ही 2008–09 के दौरान 39 दिनों तक इल्युमीना उपकरण का इस्तेमाल किया। जब यह लेखापरीक्षण द्वारा ध्यान दिलाया गया तो आई.जी.आई.बी. की निगरानी समिति ने उपकरण के उपयोग के लिए ₹ 0.53 लाख प्रतिदिन की दर (फरवरी 2010 में) तय किया तथा टी.सी.जी.ए. द्वारा दो किश्तों में आई.जी.आई.बी. को ₹ 20.67 लाख की राशि भुगतान की गयी।

ख) आई.जी.आई.बी. ने ₹ 10.71करोड़ की लागत से सितम्बर 2005 में एक उच्च प्रदर्शन जैव अभिकलन सुविधा (सुपर कम्प्यूटर) की खरीद की। यह ओखला में टी.सी.जी.ए. के परिसर में दिसम्बर 2005 में स्थापित की गयी थी (जैसाकि पैरा 4.1.6.4 में चर्चा की गई)।

ऑडिट जांच में पता चला कि सुपर कम्प्यूटर में उपलब्ध कुल 228 नोड–क्लस्टरों में आई. जी.आई.बी. ने 61 आईडी नंबरों के लिए प्राधिकरण जारी किया। एक आई.डी. टी.सी.जी.ए. को भी जारी किया गया जो अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा लॉग इन किया जा सकता था।

[66] सीएसआईआर उपकरण/सुविधाओं/उद्योग द्वारा लैब स्थान तथा जनशक्ति के उपयोग की अनुमति देने के लिए योजना से संबंधित कार्यालय ज्ञापन (मार्च 2002)

तथापि, टी.सी.जी.ए. को आई.डी. जारी करते समय आई.जी.आई.बी. ने कोई भी उपयोगकर्त्ता शुल्क वसूल नहीं किया।

सी.एस.आई.आर. ने (अप्रैल 2010) कहा कि टी.सी.जी.ए. ने किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में सुपर कम्प्यूटर की आई.डी. संख्या का उपयोग नहीं किया था। सी.एस.आई.आर. का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उपयोगकर्त्ता शुल्क के बिना टी.सी.जी.ए. को सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा के उपयोग की अनुमति देना सी.एस.आई.आर. के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध था।

4.1.7 खराब व्यवसाय प्रथाओं के परिणामस्वरूप अशोध्य ऋण

वर्ष 2006–07, 2009–10,, एवं 2010–11 के दौरान टी.सी.जी.ए. के खातों में ₹ 52.88 लाख बट्टे खाते में डाल दिए गए। यह बट्टा खाता टी.सी.जी.ए. के सलाहकार समिति निगरानी समूह की मूंजरी के बिना किया गया। इस के पीछे के कारणों के विश्लेषण से यह पता चला कि इन सेवाओं को खरीद आदेशों के बिना या ग्राहक को अधूरे डाटा/परिणामों की आपूर्ति, प्रासंगिक रिकॉर्डों की अनुपलब्धता, आदि पर प्रदान किया गया था।

उदाहरण के लिए, टी.सी.जी.ए., ने वर्ष 2010–11 में बायोकेमिकल्स एवं जीनामिक रिसोर्सस की राष्ट्रीय सुविधा[67] से प्राप्त फिजियोलॉजी और संबंधित विज्ञान का रक्षा संस्थान (डी.आई.पी.ए.एस.), नई दिल्ली की एक परियोजना के लिए सेवाएँ प्रदान की।

परियोजना का कार्य मार्च 2011 में ₹ 37.85 लाख कुल के खर्चे के साथ समाप्त हुआ तथा परिणाम के आँकड़े सौंपे गए । हालांकि यह देखा गया कि किये गये कार्य के लिए कोई खरीद आदेश उपलब्ध नहीं था और मार्च 2012 तक टी.सी.जी.ए. द्वारा मूल्य नहीं पाया गया था ।

4.1.8 प्रर्याप्त मॉनिटरींग की कमी

किसी भी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संचालन एवं निष्पादन के दौरान गतिविधियों का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। समझौते के अनुसार टी.सी.जी.ए. को इसके मिशन, भविष्य वीसन के मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य, लक्ष्य, दिशा इत्यादि एक सलाहकारी समिति (ए.सी.) निदेशक आई.जी.आई.बी. या एक प्रख्यात वैज्ञानिक की अध्यक्षता में, सात सदस्यों की कमेटी का गठन करना था। आई.एम.एम. को ए.सी. के नीतिगत ढ़ाँचें व दिशा–निर्देशों के अनुसार टी.सी.ए.जी. का संचालन करना था। ए.सी. को एक निगरानी समूह (एम.जी.), जिसे टी.सी.जी.ए. के सी.ई.ओ. की अध्यक्षता एवं वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यापारिक सलाहकारों से युक्त होनी थी, तथा जिसके द्वारा टी. सी.जी.ए. के सभी परिचालन के मामलों की समीक्षा की जानी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि:

[67] आईजीआईबी के तहत जैविक और जीनोमिक संसाधनों के लिए एक संसाधन केन्द्र

- ए.सी. और एम.जी. की बैठकों की कोई आवृत्ति तय नहीं हुई थी। 2004–11 के दौरान ए.सी. की बैठक केवल एक बार जनवरी 2006 में हुई थी। आई.एम.एम. ने जनवरी 2007 में आई.जी.आई.बी. को आगे की बैठक करने का प्रस्ताव किया परन्तु वह नहीं की गई। बैठक न करने के कारण रिकॉर्डों में उपलब्ध नहीं थे। 2004–11 के दौरान एम.जी. की बैठक केवल एक बार हुई।

- जुलाई 2007 में, एमजी ने वैज्ञानिक जानकारी और निर्देश के लिए विविध विशेषज्ञता और नॉलेजबेस से तैयार सदस्यों के साथ एक परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) का गठन किया, लेकिन समिति जुलाई 2007 से मार्च 2009 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

- 2009 –11 के दौरान, पी एम सी की पाँच बैठकों का आयोजित किया गया। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के विषयों पर कार्रवाई रिपोर्ट नहीं तैयार की गई तथा इन्हें आगे की बैठकों के समक्ष नहीं रखी गईं। पिछली बैठकों के लिए निर्णयों के संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट के अभाव में आगे की बैठकों का आयोजन अप्रभावी था।

- टी सी जी ए संचालन के लिए आई.एम.एम. को ए सी की ओर से कोई दिशा निर्देश नही दिए गए थे। इसके अलावा टी सी जी ए के लिए ए सी की ओर से कोई भौतिक या वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण नही किया गया था।

- टी सी जी ए के संसाधन के लिए किये गए निर्णयों की निगरानी करने में एसी/एम जी विफल रहा, जो उसके आर्थिक स्थितियों के प्रतिकूल रहा जैसे, टीसीजीए के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में टी सी जी डी की नियुक्ति (पैरा 4.1.6.2), किराया समझौते का अनियमित वर्गीकरण (पैरा 4.1.6.3) टी सी जी ए की सेवाओं के लिए अलाभदायी मूल्य निर्धारण (पैरा 4.1.68) इत्यादि।

इस प्रकार टी सी जी ए की निगरानी और मूल्यांकन अपर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सी एस आई आर ने कहा कि (अप्रैल 2010) सी.एस.आई.आर/आई.जी.आई.बी. तथा आई.एम.एम के वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल करके टी सी जी ए का एम जी विस्तारित किया गया था। उसने आगे ऐसे भी कहा की एम जी की पहली बैठक फरवरी 2010 में आयोजित कि गयी थी और सक्षम प्राधिकारी को ए सी को, निदेशक, आई.जी.आई.बी. की अध्यक्षता में पुनर्निर्माण के लिए कहा जा रहा था।

4.1.9 एक प्रमुख राष्ट्रीय सुविधा के रूप में टी.सी.जी.ए. की विफलता

जैसा कि पैरा – 4.1.1 में कहा गया है, टी.सी.जी.ए. का गठन छोटे प्रयोगशालाओं को बड़ी संख्या में सक्षम बनाने के उद्देश्य से , जो इसके अभिनव सुविधाओं का लाभ उठाएँ, पोस्ट–जीनोमिक अनुक्रमण युग में नई खोजें करना, एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में संचालन तथा साझा संसाधनो का उपयोग, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और प्रयोगशाला समूहों के द्वारा करने हेतु किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि टी.सी.जी.ए. कथित उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा। इस संबंध में विस्तृत लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नांकित है।

4.1.9.1 टी सी जी ए ने 2005–06 में ₹ 100 करोड़ पर जैव प्रौद्योगिक उत्पादों/सेवाओं के बाजार का पुर्नमूल्यांकन किया और टी.सी.जी.ए. के शेयर 25 फीसदी यानि ₹ 25 करोड़ होने का अनुमान लगाया। फिर भी टी.सी.जी.ए. प्रतिवर्ष अनुमानित लक्ष्य ₹ 25 करोड़ की तुलना में 2005–2006 से 2011–12 के दौरान (फरवरी 2012 तक) केवल ₹ 3.65 करोड़ से ₹ 8.93 करोड़ की सेवाएँ प्रदान कर सका।

चार्ट – 6 : टी.सी.जी.ए. के 2005–06 से 2011–12 तक का बाजार शेयर :–

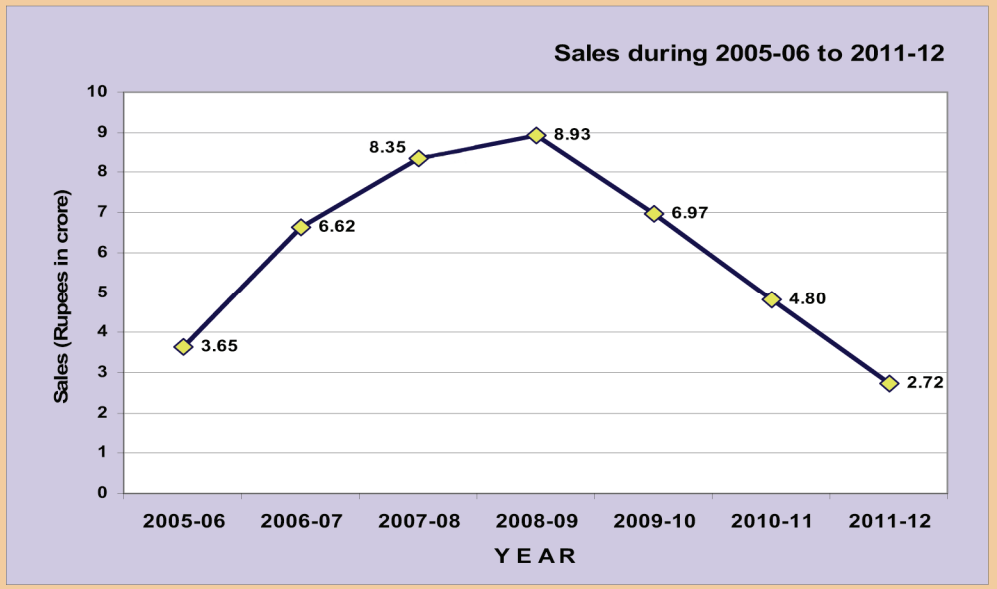

टी.सी.जी.ए. की औसत बाजार हिस्सेदारी समीक्षा अवधि के दौरान पूर्वकल्पित 25 प्रतिशत के मुकाबले केवल 6 प्रतिशत था। इसके अलावा, बिक्री/सेवाओं में 2008–09 लगातार घटती प्रवृति में ₹ 8.93 करोड़ से 2010–11 में ₹ 4.80 की करोड़ थी जो आगे घटकर 2011–12 में ₹ 2.72 करोड़ हो गया।

4.1.9.2 विश्लेषण की नमूनो की संख्या के मामलों में, यह अवलोकित किया गया कि, आई.जी.आई.बी./सी.एस.आई.आर. संस्थानों के अलावा अन्य उपयोगकर्ता तथा आई.एम.एम.

के शेयर 2004–09 के दौरान 2.85 प्रतिशत जो काफी कम था, आगे घटकर 2010–11 में 1.64 प्रतिशत हो गई। 2009–2011 के दौरान, कुल नमूनों के विश्लेषणों में आई.जी.आई. बी. का हिस्सा अकेले 92.39 प्रतिशत था।

इस प्रकार, टी.सी.जी.ए. की सेवाओं का प्रमुख हिस्सा आई.जी.आई.बी. तक केवल सीमित था और अधिक संख्याओं में प्रयोगशालाओं की सुविधा का प्रयोग कर एक राष्ट्रीय सुविधा की तरह विकसित एवं संचालित करने का इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर हो न सका।

सी.एस.आई.आर. ने स्वीकार किया (अप्रैल 2010) कि टी.सी.जी.ए. का लाभ बढ़ गया होता यदि इसका प्रयोग राष्ट्रीय संसाधनों की तरह किया गया होता।

4.1.10 निष्कर्ष

आई.जी.आई.बी. ने टी.सी.जी.ए. को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में भागीदार के चयन की प्रक्रिया मे उचित परिश्रम नही किया। इसने जिनोमिक्स और प्रोटोओमिक्स के क्षेत्र में प्रयोगशाला उत्पादों और सेवाओं के उद्योग विश्लेषण का संचालन सलाहकार की रिपोर्ट के मूल्यांकन का इंतजार किए बिना ही भागीदार का चयन किया।

आण्विक चिकित्सा संस्थान (आईएमएम) के साथ किए गए समझौते में, निजी भागीदार को मदद थी तथा सरकार के हित्तों की सुरक्षा के लिए प्रर्याप्त प्रावधान नहीं था।

आई.जी.आई.बी. ने सी.एस.आई.आर की मंजूरी प्राप्त किए बिना आई.एम.एम. को सरकारी जगह का आवंटन कर और आई.जी.आई.बी. से संबंधित उपकरणों के उपयोग के लिए निजी साझेदार से उपयोग कर्म शुल्क की वसूली करने में नाकामी से निजी साझेदार को लाभ पहुँचाया।

यद्यपि ₹ 16.28 करोड़ के उपकरण स्थापित किए गए, टी.सी.जी.ए. पूर्वकल्पित आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सका। इसकी औसत बाजार हिस्सेदारी अनुमानित 25 प्रतिशत फीसदी के मुकाबले 6 फीसदी पर बना रहा जोकि सीमित ग्राहकों के साथ मुख्य रूप से सी.एस.आई.आर., आई.जी.आई.बी. और आई.एम.एम., और कुछ निजी कम्पनियों तक सीमित रही।

अपनी सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण नीति अनार्थिक था और आई.एम.एम. को सेवाएं निर्धारित दरों से नीचे पर दिये गए थे। कमजोर व्यवसाय प्रथा और अपने खातों में टी.सी. जी.ए. गतिविधियों से असंबंधित व्यय की बुकिंग से निजी भागीदारों को अनुचित लाभ से टी.सी.जी.ए. की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा।

टी.सी.जी.ए. के लिए इमारत के निर्माण में छः साल से अधिक की देरी हुई परिणामस्वरूप, टी.सी.जी.ए. ने भाड़े पर रहने के लिए किराए के भुगतान पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त, टी.सी.जी.ए. ने अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन शुल्क के भुगतान, पट्टा समझौते की अनियमित बुकिंग तथा आई.एम.एम. द्वारा इमारत पर अनियमित बुकिंग के कारण परिहार्य

व्यय किया। टी.सी.जी.ए. के लिए स्थापित निगरानी तंत्र लचीला था। सलाहकार परिषद और निगरानी समूह की बैठकों की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप दोनों समितियाँ टी.सी.जी.ए. के संचालन की पुरी अवधि (2004–11) के दौरान केवल एक बार मिली। सलाहकार समिति ने, जो टी सी जी ए को निजी साझेदार के द्वारा संचालन के लिए नीति ढाँचा और दिशा – निर्देश जारी करने वाला था, ऐसा कुछ प्रेषित नहीं किया।

अतः कमजोर योजना, अदूरदर्शी परियोजना प्रबंधन और सरकारी रूचि की रक्षा में असफलता के कारण, टी.सी.जी.ए. का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था बनने का उद्देश्य, जो कि विश्वद्यिालयों उद्योगों और प्रयोगशालाओं के संसाधन साझेदारी के रूप में होने वाली थी, अधिकतर हो न सका।

4.2 निष्फल व्यय

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संघटक इकाई केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ऊर्जा प्रभावी कोक ओवन की तकनीक के उपयोग से एक प्रदर्शन/व्यवसायिक संयंत्र को विकसित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप योजना पर उठाये गये ₹ 2.14 करोड़ का व्यय निष्फल प्रतिपादित हुआ।

मेटलर्जिकल कोक स्टील के उत्पादन हेतु ब्लास्ट भट्टी में मुख्य उत्पादक सामग्री होती है। प्रथानुसार, मेटलर्जिकल कोक या तो उप–उत्पाद कोक ओवन या अप्राप्य प्रकार के छत्ता ओवनों से उत्पादित की जाती है। जहां उप–उत्पादक ओवन अत्याधिक प्रबलता होने के साथ एक उच्च प्रचालन रखरखाव तथा वार्षिक असंतोषजनक प्रतिफल से संबंधित है, अप्राप्य प्रकार के कोक ओवन लागत में कम तथा तकनीकी रूप से एक सरल विकल्प है, परंतु प्रक्रिया में कोयले का हिस्सा भी जल जाता है।

कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने दोनों प्रकारों के ओवन के लाभ को समाविष्ट करने हेतु एक नये कोक ओवन के विकास को दृष्टि में रखते हुए, 'स्टील/धातुएं प्रयोग के लिए हार्ड कोक के उत्पादन के लिए सस्ता, ऊर्जा प्रभावी उप–उत्पादक कोक ओवन का विकास' शीर्षक के अंतर्गत एक योजना को (अगस्त 2003) ₹ 2.87 करोड़ की लागत पर सैंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड[68] (सी एम पी डी आइ एल) को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (सी आई एम एफ आर)[69] के साथ दो वर्ष की योजना अवधि के लिए जारी किया। छत्ता कोक ओवन की क्षमताओं का उपयोग कर, अर्ध उप–उत्पादी कोक ओवन की रचना एवं विकास, उसे सस्ता और ऊर्जा प्रभावी बनाने का उद्देश्य था। तत्पश्चात् संकल्पना का

[68] कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक अनुसूची –ख कंपनी

[69] वैज्ञानिक व औद्योगिक परिषद् (सी.एस.आई.आर.) की एक संघटक इकाई, जो पूर्व में केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था।

उपयोग कोयला उत्पादन संस्थान के परिसर में एक प्रदर्शन/व्यावसायिक पैमाने प्लांट के विकास में होना था।

परियोजना को दो चरणों में लागू किया जाना था। पहले चरण में पायलट पैमाने पर अध्ययन शामिल थे, जिसके बाद कायेला उत्पादन संस्थान के परिसर में प्रदर्शन/व्यवसायिक पैमाने पर प्लांट का निर्माण दूसरे चरण में होना था।

यद्यपि योजना अक्तूबर 2005 तक सम्पूर्ण हो जानी थी, पूंजीगत उपस्कर की प्राप्ति में विलम्ब के कारण इसे दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दिया गया। येाजना पर ₹ 2.14 करोड़ का व्यय किया गया।

सी आइ एम एफ आर द्वारा जमा परियोजना सम्पन्न प्रतिवेदन (मई 2009) में प्रस्तुत किया गया कि सामान्य रूप से परियोजना के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया था, यद्यपि ओवन के कुशल निष्पादन के लिए ओवन के डिजाइन पर व्यापक कार्य करना आवश्यक था। यह भी कहा गया कि वर्तमान अध्ययन की जानकारी कोयला/कोक उत्पादन संस्थानों के लिए प्रदर्शन/व्यावसायिक पैमाना प्लांट के निर्माण में उपयोग होगी।

हालांकि कोक के सस्ते पर प्रभावी उत्पादन के लिए विकसित संकल्पना का वास्तविक प्रयोग रिकॉर्ड में नहीं पाया गया ।

योजना पर पहले से उठाये गए व्यय की उपयोगिता का मुद्दा सर्वप्रथम दिसम्बर 2009 की लेखापरीक्षा के दौरान उठाया गया था। सी आई एम एफ आर ने कहा (दिसम्बर 2009) कि कोक ओवन को लम्बी अवधि तक परिचालन करने के लिए योजना में लघु संशोधन आवश्यक थे, जो कि एक नई योजना प्राप्त होने के बाद संभव हो सकते थे। हालांकि, सी आइ एम एफ आर ने सरकार को कोई नवीन प्रस्ताव करने हेतु कोई आगे की कार्यवाही नहीं की न ही योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत गतिविधियों को आरम्भ किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी आई एम एफ आर ने उपभोक्ता उद्योग को न ही योजना के कार्यान्वयन के शुरूआती समय में और न ही किसी अन्य स्तर के दौरान शामिल किया।

मामलें की आगे खोज करने पर सी आई एम एफ आर (मई 2012) ने कहा कि प्रदर्शन/व्यावसायिक प्लांट के विकास में संकल्पना की उपयोगिता हेतु किसी उपभोक्ता उद्योगों द्वारा संपर्क नही हुआ था। सी आई एम एफ आर ने आगे कहा (मार्च 2013) कि भारत स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए कोयले के कार्बनीकरण पर एक कार्यशाला संचालित की गई थी (मार्च 2011) परंतु मार्च 2013 तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

सी एस आई आर ने कहा (मार्च 2013) कि यह मान लिया गया था कि परियोजना की समाप्ति के बाद, उसे कोक उत्पादक उद्योगों द्वारा उत्साह से स्वीकार किया जाएगा, परन्तु ऐसे व्यवसायिक प्लांट की स्थापना के लिए अंत उपयोगकर्त्ताओं से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रकार, सी आई एम एफ आर के द्वारा निर्मित कोक ओवन के विकास के 4 साल से भी अधिक के बाद इसका प्रयोग उद्योग में नहीं हुआ, जिससे परियोजना पर ₹ 2.14 करोड़ के व्यय का प्रतिपादन निष्फल रहा।